राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राजपत्रित / डीपीसी / सर्टि.कोर्स / 2015 / दिनांक

समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– सेवारत चिकित्सकों (MBBS) को एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स में चयन के सम्बधं में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य की 6 मेडिकल कॉलेजों से सेवारत चिकित्सकों (एम.बी.बी.एस.) को 10 विशिष्ठताओं में एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स हेतु इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 321 दिनांक 13.04.15 एवं 364 दिनांक 29.04.15 द्वारा सेवारत चिकित्सकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे।

इस सम्बधं में निर्देशानुसार लेख है कि आपके अधीन जिले / संस्थान में कार्यरत एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों के नाम निर्धारित प्रपत्र में उक्त विशिष्ठताओ मे एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स का प्रशिक्षण दिलवाने हेतु निम्नहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 15.05.2015 को सांय 5.00 बजे तक भिजवायें। चिकित्सकों का चयन इस प्रकार किया जायें कि प्रशिक्षण उपरान्त आपके अधीन जिले / संस्थान में सम्बन्धित विशिष्ठता के चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकें। जिन चिकित्सकों ने पूर्व में 6 माह / एक वर्ष का स्कील अप–ग्रेडेशन कोर्स अथवा अन्य स्नातकोत्तर कोर्स किया है, के नाम नही भिजवायें।

-Sd-
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राजपत्रित / डीपीसी / सर्टि.कोर्स / 2015 / 384 दिनांक 08.5.15
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन– समस्त राजस्थान।
3. प्रभारी सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सभी संबंधित को ई–मेल करवाते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर